

पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन (नैनीताल जिले के सन्दर्भ में)

पूजा पोखरिया

शोध छात्रा

गृह विज्ञान विभाग

डी0 एस0 बी0 कैम्पस, नैनीताल

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड

सारांश –

नारी हमेशा से ही सामाजिक रचना और व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। किसी भी क्षेत्र की प्रगति में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भूमिका अहम रहती है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में भी महिलाओं के विकास के बिना परिवार, क्षेत्र की उन्नति सम्भव नहीं है। उत्तराखण्ड में रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष वर्ग धनोपार्जन के लिए अपने क्षेत्र और परिवार को छोड़कर बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए विवश है। इस स्थिति में महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से महिलाओं पर ही निर्भर हो जाती है। उसे प्रातः काल से संध्या समय तक अनेकों कार्य करने होते हैं। उत्तराखण्ड की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विशिष्टताओं के फलस्वरूप यहाँ के लोगों की जीवन शैली अन्य राज्यों से भिन्न है। प्रस्तुत शोध में पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया है। इस प्रकार कुल 200 ग्रामीण गर्भवती महिलाओं का चयन किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना है। अध्ययन में देखा गया कि 91.5 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान थी, 8 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से निम्न थी। आज के आधुनिक युग में भी कुछ महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न है। 37 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में स्त्रियों को पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, वह स्वयं के लिए भी निर्णय नहीं ले सकती थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि महिलायें अपने जीवन में कई पात्रों की भूमिका निभाती है। शोध में 45 प्रतिशत महिलायें परिवार के बाद भोजन ग्रहण करती थीं।

शब्द संकेत :- महिला, सामाजिक, पर्वतीय, ग्रामीण, स्थिति, परिवार।

परिचय :-

नारी का मनुष्य-जाति की उत्पत्ति में ही नहीं वरन् समाज निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्राचीन काल से ही महिलायें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। एक बेटे, बहन, पत्नी और माता के रूप में वह अपने कर्तव्यों का पालन करती हुई जीवन का अर्थ व्यक्त करती है। कहा गया है कि “नारी परिवार की नींव है, परिवार, समुदाय की तथा समुदाय राष्ट्र की” इससे स्पष्ट है कि स्त्री राष्ट्र की नींव है। जिस देश में स्त्रियों का सम्मान होगा, वह राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र होगा। सृष्टि के प्रारम्भ से ही नारी ने सामाजिक जीवन के पोषण में अपनी ममता, त्याग, करुणा, कोमलता एवम् मधुरता से परिपूर्ण योगदान दिया है मिश्रा, (2016)। भारत की कई महान महिलायें जैसे-रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गाँधी आदि को आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज भारत में महिलाओं ने अपनी गरिमा से कई पद सुशोभित किये हैं। मनुस्मृति का यह श्लोक-नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवताः यर्तेतास्0071तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। अर्थात् कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सभी क्रिया निष्फल हो जाती है यादव, (2017)। मानव को धरती पर माँ के रूप में नारी की गोद में संरक्षण मिला। नारी ने पुरुष के साथ मिलकर गृहस्थी को चलाया वह कभी दासी बनी तो कभी उसे पुरुष द्वारा पैरों की जूती समझा गया। उसे पग-पग पर अपमानित किया गया। स्वार्थी समाज ने शोषण का शिकार बनाया। पुरुष और महिला को प्रकृति ने एक समान बनाया था परन्तु पुरुष इस समाज में अपने आप को उत्कृष्ट मानने लगा। पुरुषों की यह मानसिकता आदि समाज में भी थी और आज के आधुनिक समाज में भी पुरुष वर्ग की यही मानसिकता व्याप्त है।

विश्व में महिलाओं की स्थिति :-

विश्व की कुल जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं की है। वे कार्यकारी घण्टों में दो तिहाई का योगदान करती है, लेकिन विश्व आय का केवल दसवां हिस्सा वे प्राप्त कर पाती हैं और उन्हें विश्व सम्पत्ति में सौवें से भी कम हिस्सा प्राप्त है। यद्यपि रोजगार में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन उन्हें कम वेतन मिल रहा है। विश्व के 5 करोड़ कार्यरत गरीबों में 80 प्रतिशत

महिलायें हैं। महिलायें अधिकांशतः पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती हैं। वे बच्चों तथा बड़ों की देखभाल करती हैं, पारिवारिक भूमि कार्यों में व व्यापार में सहयोग करती हैं। गांवों में पानी, ईंधन एवं चारा लाने में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। उनके ये कार्य निःशुल्क तथा अप्रत्यक्ष होते हैं **कुमारी,(2018)**।

भारत में महिलाओं की स्थिति :-

भारत में ही नहीं वरन् विश्व के अन्य धर्मों में नारी की स्थिति समयानुसार बदलती रही है। विश्व के हर देश, हर धर्म में नारी जाति को प्रतिबन्धों और वर्जनाओं की जंजीरों में जकड़ कर रखा और नारी उन जंजीरों को तोड़ नहीं पायी और उनमें बराबर जकड़ती ही चली गई। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये और महिलायें जंजीरो से मुक्त होती रहीं। भारतीय नारी की कहानी एक उतार-चढ़ाव की कहानी है। युगों से उत्थान-पतन की तरंगों में झूलती नारी को कभी सम्मान का स्वर्णिम शिखर मिला तो कभी अधोपतन की मझधार। उसकी सामाजिक स्थिति के दोनों पहलुओं-अधिकार एवं कर्तव्य में सदैव उतार-चढ़ाव आते रहे हैं **मिश्रा,(2018)**। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव परिवर्तनशील रही है। भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में भारतीय स्त्री का अतीत दृष्टिगत करने पर यह परिदृश्य उभर कर सामने आता है कि भारतीय स्त्री प्रकृति की सृजनशीलता एवं रचनात्मक शक्ति की प्रतीक रही है **राय,(2017)**। देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में महिलाओं का लगभग आधा हिस्सा है महिलाएँ हमारे परिवार, समाज, समुदाय एवं देश की सार्थक अंग है। डॉ रणनीति के अनुसार "विश्व के हर क्षेत्र की महिलाएँ चाहे वे शहर की रहने वाली हो या घनघोर देहात की अपने देश के भविष्य में सामाजिक और आर्थिक विकास पर बहुमुखी प्रभाव डालती हैं"। भारत ने महिलाओं की स्थिति में पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामान किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष की नेता जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं **बाला,(2018)**। आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर्याप्त प्रगति की है। पुरुषों पर उनकी निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। वे विभिन्न उद्योग-धन्धे, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण व व्यवसाय आदि क्षेत्रों में प्रवेश कर अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था प्रारम्भ की है। आज महिलायें आर्थिक रूप से अपनी आजीविका उपार्जित कर रही हैं। आज उनके कार्यक्षमता आत्मविश्वास और मानसिक स्तर में जो प्रगति हुई, वह उनको आर्थिक रूप से मिली हुई स्वतंत्रता का परिणाम है **मिश्रा,(2016)**। महिलायें कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों की तुलना में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों की महिलायें भी घरेलू गतिविधियों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों में भी भाग ले रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलायें कृषि, पशुपालन, मजदूर परिवारों से सम्बन्धित हैं, महिलायें घरेलू कार्य के साथ-साथ मजदूरी भी करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलायें खेती व खेती पर आधारित रोजगार से जुड़ी हुई हैं, जहाँ उनकी आमदानी भी कम होती है। मजदूरी करने वाली महिलाओं को जिन दिनों घरों के आस-पास कृषि या अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलता है, उन दिनों में वे मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी करती हैं। कार्य की अधिकता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के अभाव में महिलायें बहुत से रोगों से ग्रसित हो जाती हैं **कुमार,(2017)**।

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले कारक - विवाह के प्रति दृष्टिकोण, विवाह की आयु, परिवार में महिला का स्थान और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला की अपेक्षित भूमिका। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में भी सूचना तकनीक माध्यम काफी कारगर साबित हुए हैं। जैसे-ग्रामीण महिलाओं के लिए रेडियो पर जननी जैसे कार्यक्रम तथा दूरदर्शन पर कल्याणी जैसे कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं को अनेक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागृति जगाने में जनसंचार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है **कुमारी,(2018)**।

उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति :-

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना 09 नवम्बर 2000 को हुई। उत्तराखण्ड की ग्रामीण महिलायें राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। राज्य गठन के संघर्ष के दौरान वे हमेशा सबसे आगे खड़ी रहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र की महिलायें संस्कृति और परम्पराओं का मुख्य आधार हैं। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं ने बार-बार उल्लेखनीय साहस और विकास कार्यक्रमों में भागीदारी का परिचय दिया है। उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक संघर्षशील है **तिवारी,(2017)**। नारी हमेशा से ही सामाजिक रचना और व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। किसी भी क्षेत्र की प्रगति में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भूमिका अहम् रहती है। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में भी महिलाओं के विकास के बिना परिवार, क्षेत्र की उन्नति सम्भव नहीं है। उत्तराखण्ड में रोजगार के सीमित संसाधन होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष वर्ग जीविकोपार्जन के लिए अपने क्षेत्र और परिवार को छोड़कर बाहरी क्षेत्रों में जाने के लिए विवश हैं, इस स्थिति में महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से महिलाओं पर ही निर्भर हो जाती है **बाला,(2011)**। उत्तराखण्ड की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विशिष्टताओं के फलस्वरूप यहाँ के लोगों की जीवन शैली अन्य राज्यों से भिन्न है। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं की दिनचर्या बहुत ही कठिन एवं चुनौतियों से परिपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को प्रातः काल से संध्या समय तक अनेकों कार्य करने होते हैं। जिसकी शुरुआत हेतु जल संग्रह, चारा एवं रसोई के ईंधन के प्रबन्धन से जुड़े ताने-बाने में बंधी हुई है। यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में परिश्रम एवं संघर्ष करने की शक्ति अधिक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया शीलता महिलाओं पर केन्द्रित है **रुवाली,(2014)**। **जेठी,(2018)** ने अपने अध्ययन

“जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय महिलाओं की पोषण स्थिति पर प्रभाव” में बताया कि पर्वतीय क्षेत्र की महिलायें प्रतिदिन 14–18 घन्टें कार्य करती हैं ।

पूनम,(2014) ने अपने अध्ययन में बताया कि उत्तराखण्ड के गाँवों की स्थिति देखने पर पता चलता है, गाँवों में पुरुषों का बड़ा वर्ग शराब व जुए में अपना अधिकतर समय व्यतीत करता है। आज उत्तराखण्ड के कोने-कोने में शराब की दुकान खुलने से ग्रामीण महिलाओं की परेशानियाँ और अधिक बढ़ गयी है। दूसरी ओर घर, परिवार, खेत-खलिहान, जंगल, पशु, पानी, ईंधन, आदि का बोझ भी महिलाओं पर ही रहता है।

उत्तराखण्ड की महिलायें यहाँ की अर्थव्यवस्था की सशक्त धुरी हैं। जिससे महिलायें सुबह से शाम तक घरों के सभी दायित्वों एवं खेतों में फसलों की कटाई-मड़ाई, घास, लकड़ी की व्यवस्था, अनाज कूटना-पीसना एवं दूध दुहना, आदि कार्य करती हैं इन परेशानियों का सामना करते हुए भी महिलायें हमेशा से ही विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अपना योगदान देती आई हैं। यहाँ की महिलायें अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के साथ-साथ सामाजिक चेतना की धुरी रही हैं **रुवाली,(2014)**। उत्तराखण्ड की महिलायें राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु समाज में प्रचलित कुरीतियों, अधविश्वासों के उन्मूलन, शैक्षिक, उन्नयन, महानिषेध तथा वन बचाओं आन्दोलन में सक्रिय रही हैं **शर्मा,(2014)**।

आज भी महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। आधुनिकता के विस्तार के साथ-साथ देश में दिन-प्रतिदिन बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या के आँकड़े चौंकाने वाले हैं। उन्हें आज कई प्रकार के धार्मिक, रीति- रिवाजों, यौन अपराधों, लैंगिक भेदभावों, घरेलू हिंसा, अशिक्षा, कुपोषण, दहेज उत्पीड़न, कन्या भ्रूणहत्या, सामाजिक असुरक्षा तथा उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है।

वहीं दूसरी ओर कुछ महिलायें अपने निर्णय को स्वयं लेने में असमर्थ हैं। आज जहाँ भारत की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है वहाँ पर पुरुष प्रधान समाज का ही वर्चस्व है, किसी भी समाज या देश को तब तक विकासशील नहीं कहा जा सकता जब तक उस देश की महिलायें पुरुषों के बराबर अपना योगदान न दे। निर्णय केवल व्यवसाय या समाज से ही सम्बन्धित नहीं होते बल्कि वह किसी भी मनुष्य के दैनिक जीवन से सम्बन्धित होते हैं। महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएँ व प्रावधान बनाये गये हैं। लेकिन अधिकतर महिलाओं को अपने आधारभूत अधिकारों की ही जानकारी नहीं है। इसका प्रमुख कारण महिलाओं में अशिक्षा है **देवी,(2018)**।

लाहोटी,(2003) के अनुसार “इसका मुख्य कारण पारिवारिक दायित्वों के साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित कार्यों को सुगमता से किया जा सकता है। जबकि अन्य व्यवसायों एवं कार्यों के प्रति आकर्षण कम होता है, क्योंकि सामाजिक मान्यताएँ इन्हें अन्य कार्यों को करने से रोकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2018–19) के अनुसार महिलाओं के लिए सम्मानजनक जिन्दगी जीने का अधिकार आज भी नहीं है। महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट आकड़ों के अनुसार वर्ष (2018–19) में सबसे ज्यादा शिकायतें सम्मान के साथ जीने का अधिकार में बाधा पड़ने की आइ। दुसरे नम्बर में दहेज उत्पीड़न के मामले ही सामने आये है और महिलाओं ने आयोग में पुलिस प्रताड़नी की शिकायतें भी की। पुलिस प्रताड़ना मामलों की शिकायतों का आकड़ा तीसरे नम्बर पर रहा।

तालिका सं० 1 राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा शिकायतें

क्र०स०	शिकायतों का प्रकार	2018–2019	2017–2018
1	सम्मानजनक जिन्दगी का अधिकार	6792(2018–19)	5770 (2017–18)
2	दहेज उत्पीड़न	2584(2018–19)	2371(2017–18)
3	पुलिस की संवेदनहीनता का शिकार	2134(2018–19)	1846(2017–18)
4	महिलाओं के खिलाफ हिंसा	1636(2018–19)	1787(2017–18)
5	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	750(2018–19)	666(2017–18)
6	साइबर	420(2018–19)	334(2017–18)

उद्देश्य :-

- 1- ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना ।
- 2- ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना ।

शोध विधि :-

- 1- प्रस्तुत शोध उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जिले में किया गया है। नैनीताल जिले से 4 विकाखण्डों चयन किया गया है। शोध कार्य हेतु भीमताल, रामगढ़, बेतालघाट, धारी विकाखण्डों का चयन किया गया है।
- 2- शोध कार्य यादृच्छिक विधि (Random Sample) द्वारा किया गया है।
- 3- शोधकार्य हेतु 18–45 वर्ष आयु की ग्रामीण महिलाओं का चयन किया गया है।
- 4- शोध कार्य हेतु चयनित कुल 200 ग्रामीण गर्भवती महिलाओं का चयन किया गया है।

साहित्य समीक्षा :-

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चालीस प्रतिशत विवाहित महिलाओं को महज इस कारण प्रताड़ित किया जाता है कि उसके द्वारा बनाया भोजन या उनके काम पसन्द नहीं आए, खुद महिलाओं की सोच में इस बातों का असर इतना ज्यादा है कि कई बार वे खुद हिंसा का समर्थन करने लगती हैं। जिससे इन यातनाओं का असर उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

यादव,(2004) के अनुसार "समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति व भूमिकाएँ बहुत कुछ समाज के स्वरूप और विशेषताओं पर निर्भर करती हैं, वह समाज आधुनिक है अथवा परम्परागत, यह सब सामाजिक परिस्थितियों के रूप को प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ समाज का आकार और संरचना भी स्त्रियों के सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है।

कुमार,(2006) के अनुसार –"सही मायने में राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि देश की आधी आबादी को भी अपने अस्तित्व का बोध हो और उसे विकास के सभी अवसर प्राप्त हों।

रविशंकर, (2006), मुनि की रेती, टिहरी से लिखते हैं "यहाँ के पुरुष दिन भर दुकानों में ताश खेलते हैं" बीड़ी फूंकते हैं तथा चाय पीते हैं और शाम को आकर अपनी महिलाओं से जैसा व्यवहार करते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता।

त्रिपाठी,(2014) हिमालय अध्ययन केन्द्र पिथौरागढ़ की रिपोर्ट के अनुसार ईंधन एकत्रित करने चारा पानी लाने या खेत की सफाई में पुरुषों की भागीदारी महज 8 प्रतिशत है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में हल चलाने को छोड़कर 90 प्रतिशत से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं।

परिणाम एवं व्याख्या :- प्रस्तुत शोध पत्र में पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति, पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार, महिलाओं द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्रम के सम्बन्ध में जानकारी, गर्भवती महिलाओं द्वारा बच्चे की चाह के सम्बन्ध में जानकारी, कन्या जन्म पर ग्लानि/दुःख, सम्बन्धित स्थिति का वर्णन किया गया है।

तालिका सं0 1 गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी

क्र0सं0	परिवार में स्त्रियों की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	पुरुषों से उच्च	1	0.5
2	पुरुषों के समान	183	91.5
3	पुरुषों से निम्न	16	8
	योग	200	100

शोध में यह देखा गया कि 0.5 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से उच्च थी, 91.5 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान थी, 8 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में परिवार में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से निम्न थी। आज के आधुनिक युग में भी कुछ स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से निम्न है।

यादव,(2019) ने अपने अध्ययन में "महिलाओं के प्रति बढ़ता उत्पीड़न— एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" किया। जिसमें उन्होंने देखा कि 30 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं की स्थिति उत्तम है, 32 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं की स्थिति सामान्य है तथा 38 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं की स्थिति निम्न है।

तालिका सं0 2 गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में स्त्रियों को पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने के सम्बन्ध में जानकारी

क्र0सं0	पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	126	63
2	नहीं	74	37
	योग	200	100

शोध में यह देखा गया कि 63 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार था और महिलायें सभी क्षेत्रों में निर्णय ले सकती थीं, 37 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की दृष्टि में स्त्रियों को पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, वह स्वयं के लिए भी निर्णय नहीं ले सकती थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि महिलायें अपने जीवन में कई पात्रों की भूमिका निभाती हैं।

तालिका सं0 3 महिलाओं द्वारा भोजन ग्रहण करने के क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

क्र०सं०	भोजन ग्रहण करने का क्रम	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	परिवार के बाद	90	45
2	परिवार के साथ	75	37.5
3	परिवार से पहले	35	17.5
	योग	200	100

शोध में यह देखा गया कि 45 प्रतिशत महिलायें परिवार के बाद भोजन ग्रहण करती थीं, 37.5 प्रतिशत महिलायें परिवार के साथ भोजन ग्रहण करती थीं, 17.5 प्रतिशत महिलायें परिवार से पहले भोजन ग्रहण करती थीं। अध्ययन में देखा गया कि आज भी महिलायें परिवार के बाद भोजन ग्रहण करती हैं।

तालिका सं० 4 गर्भवती महिलाओं द्वारा बच्चे की चाह के सम्बन्ध में जानकारी

क्र०सं०	बच्चे की चाह	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	लड़का	39	19.5
2	लड़की	11	5.5
3	कुछ भी	150	75
	योग	200	100

शोध में यह देखा गया कि 19.5 प्रतिशत गर्भवती महिलायें चाहती थीं कि उनका लड़का हो, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के पास पहले से 2 या 3 लड़कियाँ थीं, 5.5 प्रतिशत गर्भवती महिलायें चाहती थीं, कि लड़की हो, 75 प्रतिशत गर्भवती महिलायें चाहती थीं कि कुछ भी हो, लड़का/लड़की वह ईश्वर की देन है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। इस आधुनिक युग में लड़का/लड़की एक समान है। होगा। इस अन्तर का कारण अशिक्षा और जागरूकता की कमी हो सकती है लेकिन मेरा मानना है कि पड़े-लिखे लोग भी यह भेदभाव करते हैं। दहेज प्रथा, कन्या भूषण हत्या जैसी कुरीतियाँ आज भी शिक्षित घरों में हैं।

तालिका सं० 5 गर्भवती महिलाओं को कन्या के जन्म होने पर ग्लानि/दुःख के सम्बन्ध में जानकारी

क्र०सं०	कन्या जन्म पर ग्लानि/दुःख	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	24	12
2	नहीं	176	88
	योग	200	100

शोध में यह देखा गया कि 12 प्रतिशत ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को कन्या के जन्म होने पर ग्लानि/दुःख होगा। क्योंकि गर्भवती महिलाओं की पहले से 2 या 3 कन्या थी, 88 प्रतिशत ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को कन्या के जन्म होने पर किसी भी प्रकार का दुःख/ग्लानि नहीं होगी। अतः लड़के की चाह में परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी। रानी, (2020) ने अपने अध्ययन में बताया कि 47 प्रतिशत परिवारों में कन्या के जन्म पर परिवार में खुशी का माहौल होता है जबकि 53.18 प्रतिशत परिवारों में कन्या के जन्म पर ग्लानि/दुःख का माहौल होता है।

निष्कर्ष :-

पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं का अध्ययन करने के पश्चात् उनकी दयनीय स्थिति सामने आयी है। पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं का जीवन बड़ा ही संघर्षमय है। इन ग्रामीण महिलाओं का जीवन इतना कष्टमय है कि उसे शब्दों में बया नहीं किया जा सकता, ये ग्रामीण महिलाएँ बस अपने परिवार के लिए ही जीती हैं। ये परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ से इस प्रकार दबी हुयी कि इन्हें अपना जीवन जीने का समय नहीं है ये उन्हीं के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर देती हैं परिवार में आय का साधन न होने के कारण वह स्वयं ही मेहनत, मजदूरी करती हैं। फिर भी कुछ ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पुरुषों से निम्न है और महिलाओं को आज भी पारिवारिक आर्थिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार तक नहीं है, वह स्वयं के लिए भी निर्णय नहीं ले सकती थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि महिलायें अपने जीवन में कई पात्रों की भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण महिलायें आज भी परिवार के समस्त सदस्यों के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र की ग्रामीण महिलायें अनेक दुःखों व असहनीय पीड़ा को सहन करती हुयी यह अपना जीवन व्यतीत करती हैं। आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ गया है। परन्तु पुरानी रूढ़िवादी, परम्परा एवं संस्कृति के कारण आज भी महिलाओं का जीवन कष्टमय है। अतः इस समाज को स्वयं नारी के उत्थान हेतु अपनी पुरानी रूढ़िवादी परम्पराओं को त्यागना पड़ेगा तभी हम समाज को उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट बना

सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में नारी की अहम् भूमिका है और नारी का जीवन जब सुखमय होगा तभी एक उत्कृष्ट भविष्य प्रदान कर सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अग्रवाल नीता (2010) मातृ कला एवं शिशु पालन, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृष्ठ सं०-79-99।
2. कुमारी स्वाती (2018), महिला सशक्ति करण में प्रौद्योगिकी की विभाग: एक समाज शास्त्रीय अध्ययन" समाज शास्त्र विभाग मगध विश्वविद्यालय बोध गया बिहार, **International Journal of Research and Analytical, Reviews vol 5; Issue:2** पृ०सं०-1822
3. कुमार नरेश डॉ० (2017), भूमण्डलीकरण के दौर में महिला सशक्तिकरण . **International Journal of Advanced Research and Development Volume - 2, Issue 3**, पृष्ठ सं०-228।
4. कुमार मनीष (2006) "महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा" मधुर लुक्स, दिल्ली, पृष्ठ सं०-33।
5. जेठी रेनु, जोशी कुशाग्रा, चन्द्रा निर्मल (2018), जलवायु परिवर्तन का पर्वतीय महिलाओं की पोषण स्थिति पर प्रभाव, हिम प्रभा, राजभाषा पत्रिका गोविन्द बल्लभ पन्त राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान पृ०सं०-8
6. पूनम (2014), उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति, संस्कृत विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल, पृष्ठ सं०- 67-70
7. बाला किरन (2017), ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएँ एवंसमाधान : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन, समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल पृ०सं०- 6
8. मिश्रा अर्चना (2016), "भारत की परम्पराओं, नारी के सामाजिक स्थिति का पुनरावलोकन" **International Journal of Humanities and Social Science Research Volume - 2, Issue 8**,पृष्ठ सं०-30-36
9. यादव उत्तरा (2004), "ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर" साहित्य संगम, इलाहाबाद, पृष्ठ सं०-16।
10. यादव डॉ० के एन० एस०, रानी पूजा (2019), महिलाओं के प्रति बढ़ता उत्पीड़न- एक समाजशास्त्रीय अध्ययन . **Journal of emerging Technologies and innovative Research (JETIR) April 2019: volume 6,Issue 4, p no- 585-589.**
11. रानी पूजा (2020), महिला शोषण एवं उत्पीड़न: दलित महिलाओं के सन्दर्भ में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन (बाजपुर के चकसुर गाँव की दलित महिलाओं पर आधारित अध्ययन), राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर पृष्ठ सं०-86
12. राय कुमार बृजेश, (2017), भारत में महिला सशक्तिकरण : एक विवेचना, **International Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol 4; Issue-5; P-274-277.**
13. रुवाली नीरज प्रियंका डॉ०, शर्मा बोरा नीता (2014), उत्तराखण्ड की महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान, उत्तराखण्ड की महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका, संस्करण प्रथम आवृत्ति महिला अध्ययन केन्द्र कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, हिमालय पब्लिशिंग खटीमा उत्तराखण्ड पृष्ठ सं०-55
14. लहोटी राहुल (2003), इकोनामिक ग्रोथ एण्ड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इण्डिया, वर्किंग पेपर, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बेंगलूर, पृष्ठ सं०-414,
15. शर्मा बोरा नीता (2014), उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिकसमस्याएँ औरउसकानिदान, राजनीति शास्त्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, पृष्ठ सं०-71-74